संख्या- 112/2015/543/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए)

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 12 मई, 2015

विषय- प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्षों के निर्माण हेतु निर्गत प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-14943/नम-2,दिनांक 29.04.2015 एवं शासनादेश संख्या-92/2015/403/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक-29 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्न तालिका में उल्लिखित जनपद कारागारों/न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्षों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में रू0 4,44,33,000/-(रूपया चार करोड़ चौवालिस लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखितशर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	अनुमानित लागत	जनपद न्यायालय	अनुमानित लागत	योग	स्वीकृति धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला कारागार, बदायूँ	**25.84**	बदायूँ	**43.50**	**69.34**	34.67
2	जिला कारागार, शाहजहाँपुर	**25.84**	शाहजहाँपुर	**43.50**	**69.34**	34.67
3	जिला कारागार, पीलीभीत	**25.84**	पीलीभीत	**43.50**	**69.34**	34.67
4	जिला कारागार, बिजनौर	**25.84**	बिजनौर	**43.50**	**69.34**	34.67
5	जिला कारागार, रायबरेली	**25.84**	रायबरेली	**43.50**	**69.34**	34.67
6	जिला कारागार, उन्नाव	**25.84**	उन्नाव	**43.50**	**69.34**	34.67
7	जिला कारागार, खीरी	**25.84**	खीरी	**43.50**	**69.34**	34.67
8	जिला कारागार, फतेहगढ़	**25.84**	फतेहगढ़	**43.50**	**69.34**	34.67
9	जिला कारागार, सहारनपुर	**25.84**	सहारनपुर	**43.50**	**69.34**	34.67
10	जिला कारागार, प्रतापगढ़	**25.84**	प्रतापगढ़	**43.50**	**69.34**	34.67
11	जिला कारागार, महाराजगंज	**25.84**	महाराजगंज	**43.50**	**69.34**	34.67
12	केन्द्रीय कारागार, बरेली	**25.84**	-	-	**25.84**	12.92
13	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	**25.84**	-	-	**25.84**	12.92
14	केन्द्रीय कारागार, आगरा	**27.62**	-	-	**27.62**	13.81
15	-	**-**	कासगंज	**46.62**	**46.62**	**23.31**
					कुल योग-	444.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2015 तक अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 29.03.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-"4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय -800-अन्य व्यय-16- प्रदेश के कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2/2015-बी/1-925-दस/2015-231/2015 दिनांक-30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

<u>संख्या-112/2015/543(1)/22-4-2015-तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in